फर्द अहकाम

स्व वाद प्रकरण संख्या 88/2009 अनवान मांगीलाल बनाम पुखराज के कामु. शांतिलाल वगैरा अंतर्गत धारा 88, 89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सी.पी.सी.)

तारीख क्रम.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
03.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी पक्ष श्री हनुमानसिंह चौहान उपस्थित। वकील वादी श्री भरत जे राठौड उपस्थित। उभय पक्ष वकुलाय की बहस से यह जाहिर हैं कि अधिवक्ता प्रतिवादी श्री हनुमानसिंह चौहान द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी. के माध्यम से दलील दी जा रही हैं कि वादी पक्ष द्वारा तथ्यो को छिपाकर उक्त वाद पेश किया गया हैं। वाद में वर्णित भूमि मेंसे सेला के हाल खसरा नंबर 23 व 24 के संबध में एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इसी न्यायालय में दर्ज हुआ। तथा वह राजस्व वाद संख्या 92/07 अनवान अब्दुल अजीज बनाम बस्तीमल वगैरा दिनांक 22.04.2008 को निर्णित हो चुका हैं। जिस वाद में वादी स्वयं पक्षकार रहा हैं। बंटवाडा होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या–07 ने उसका हिस्सा जो उसे बंट में दिया गया जिसका खसरा नंबर 23/1 रकबा 4.00 हैक्टर का खाता अलग हो चुका हैं। एवं प्रतिवादी संख्या–07 ने अपने हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 को बेचान कर दिया है। एवं मौके पर उनका कब्जा चला आ रहा हैं। इस भूमि से वादी को कोई लेना देना नहीं हैं न ही वादी इस भूमि का बंटवाडा पुनः करवाने का अधिकारी हैं। वादी के हिस्से में खसरा नंबर 24/1 रकबा 1.10 हैक्टर भूमि आई हैं। जिसका वह खातेदार हैं। उसे संपुर्ण भूमि का पुनः खातेदार अथवा बंटवाडा करवाने का किसी भी कानून के तहत अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जिससे वादी का वाद रेसजुडिकेटा के सिद्वान्तो के अनुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। इसके विपरित अधिवक्ता वादी श्री भरत जे राठौड द्वारा वकील प्रतिवादी की दलीलो का खण्डन करते हुये दलील दी जा रही हैं कि विवादित आराजी का बंटवाडा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य नहीं हुआ हैं। एवं प्रतिवादी संख्या–07 अब्दुल अजीज के द्वारा जो भूमि का बेचान किया गया है वह भूमि शामालाती होने से सभी खातेदारान् का सामलाती कब्जा चला आ रहा हैं। पुर्व में प्रस्तुत वाद व हस्तगत वाद दोनो अलग–अलग आराजी के होने व अलग–अलग पक्षकारो के मध्य पेश किये गये है, जिससे हस्तगत वाद में रेसजुडिकेटा के सिद्वान्त लागु नहीं होते हैं। पुर्व मे प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 92/07 अनवान अब्दुल अजीज बनाम बस्तीमल वगैरा में वादी पक्षकार मुकदमा नहीं हैं। वादी ने अपना हिस्सा बेचान नहीं किया हैं। जिससे वादी सह खातेदार होने से वादी द्वारा उक्त सही वादपत्र पेश किया हैं, तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नही होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। दोनो पक्षो के अधिवक्तागणो की दलीलो को सुनने के पश्चात् धारा 11 सी.पी.सी में विहित प्रावधानो का अध्ययन किया गया। धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधानो अनुसारः– **11. पुर्व न्यायः– कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद**	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

या विवाद्यक का विचार नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमेंसे कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा हैं, जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिये सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका हैं और अन्तिम रूप से विनिश्चियन किया जा चुका हैं।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि वादी द्वारा उक्त वाद ग्राम सेला ब्रहसील बाली में स्थित भूमि नये खसरा नंबर 23, 24, 25, 26 व 37 के संबध में धारा 88, 89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादी को 1/5 हिस्सा अनुसार साढे 24 बीघा भूमि का माप व सीमांकन कर विभाजन किये जाने मांग की गई हैं। प्रतिवादी पक्ष द्वारा इसका खंडन करते हुये यह बताया गया हैं कि उक्त वाद में वर्णित खसरा नंबर 23 व 24 का रेकर्ड में दर्ज पक्षकारो के मध्य पुर्व में इसी न्यायालय द्वारा विभाजन किया जा चुका है। तथा उस विभाजन की डिक्री के अनुसार रेकर्ड में भी खाते अलग दर्ज हो चुके हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति के अनुसार राजस्व वाद संख्या 92/07 अनवान अब्दुल अजीज बनाम बस्तीमल वगैरा निर्णय दिनाक 22.04.2008 रहे है तथा उक्त राजस्व वाद के साथ अन्य राजस्व वाद संख्या 38/08 कालुखॉ बनाम अब्दुल अजीज भी संलग्न रहा हैं। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हैं कि ग्राम सेला स्थित भूमि खसरा नंबर 23 व 24 के विभाजन के संबध में दिनांक 22.04.2008 को निर्णय किया जा चुका हैं। तथा उस पुर्व निर्णित वाद में वादी स्वयं बतौर प्रतिवादी संख्या–04 पक्षकार रहा हैं। इसके बावजुद वादी पक्ष द्वारा पुनः ग्राम सेला स्थित भूमि नये खसरा नंबर 23, 24, 25, 26 व 37 के संबध में धारा 88, 89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत उक्त वाद प्रस्तुत कर वादी को 1/5 हिस्सा अनुसार साढे 24 बीघा भूमि का माप व सीमांकन कर विभाजन किये जाने मांग की गई हैं। धारा 11 सी.पी.सी में विधि के प्रावधानो पर उक्त प्रकरण का परीक्षण करने पर यह जाहिर हैं कि तथा कथित पुर्व निर्णित राजस्व वाद संख्या 92/07 अनवान अब्दुल अजीज बनाम बस्तीमल वगैरा में इस वाद का वादी बतौर प्रतिवादी संख्या–04 पक्षकार रहा है। इस प्रकार ग्राम सेला स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 23, 24 के विभाजन के संबध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.04.2008 को फाईनल डिक्री जारी की जा चुकी हैं, तथा उसकी पालना में खाते भी अलग हो चुके है। जिससे विधि अनुसार खसरा नंबर 23 व 24 के संबध में वादी का उक्त वाद रेस जुडिकेटा के सिद्धान्तो से बाधित हो चुका है। खसरा नंबर 25, 26 व 37 के संबध में पुर्व में किसी प्रकार का निर्णय होने के तथ्य तो प्रस्तुत नहीं किये गये है, परन्तु वादी द्वारा उक्त वाद में खसरा नंबर 23, 24,

Scanned by CamScanner

ख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
	25, 26 व 37 में 1/5 हिस्सा अनुसार विभाजन की मांग की गई है। खसरा नंबर 23 व 24 के संबध में वाद को रोक दिये जाने के पश्चात् अन्य खसरो 25 व 26 व 37 के संबध में वाद कार्यवाही को जारी रखा जाना भी विधि सम्मत प्रतीत नहीं हैं। क्योंकि खसरा नंबर 23 व 24 के संबध में वाद कार्यवाही रोकने के पश्चात् वादी पक्ष को अपना अनुतोष परिवर्तन करना होगा। जिससे पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व विधि के प्रावधानो पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाता हैं। तथा वादी द्वारा ग्राम सेला स्थित भूमि खसरा नंबर 23, 24, 25, 26 व 37 में 1/5 हिस्सा अनुसार प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88,, 89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। तथा खसरा नंबर 25, 26 व 37 के संबध में पुनः नया वाद प्रस्तुति की अनुमति प्रदान की जाती हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बाली	

Scanned by CamScanner